

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

7/11 (1)

क्रमांक प.10(4)न्याय-98

जयपुर दिनांक : 7 NOV 2012

सीस्टार जनरल
राजस्थान उच्च न्यायालय,
जयपुर।

विषय - राज्य में संचालित 43 फास्टट्रेक न्यायालयों को सुशोभित करने
इनके स्थान पर नवसृजित नियमित अपर जिला एवं सेशन
न्यायालयों हेतु आवश्यक पद एवं बजट स्वीकृत करने बाबत।

संदर्भ - इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 05.11.2012

महोदय,

उपरोक्त विषयादागत इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक
05.11.2012 द्वारा राज्य में संचालित 43 फास्टट्रेक न्यायालयों के स्थान पर नियमित
नियमित अपर जिला एवं सेशन न्यायालयों हेतु निम्नानुसार फास्टट्रेक न्यायालयों हेतु
संश्लेषित पदों को नियमित अपर जिला एवं सेशन न्यायालयों में समाधोषित करने
कॉलम संख्या 7 में उल्लेखित अस्थाई पद, पद भरे जाने की तिथि 31 दिसम्बर
2012 तक सृजित करने एवं कॉलम संख्या 8 में उल्लेखित पद समाप्त करने हेतु
संश्लेषित राज्यपाल महोदय की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	नाम पद	मुख्यालय पर खोले गये 38 ADJ कोर्टों के लिए पद	मुख्यालय के बाहर खोले गये 5 ADJ कोर्टों के लिए पद	कुल सृजित पद (3+4)	फास्टट्रेक न्यायालयों में स्वीकृत पद	नवसृजित न्यायालयों किये जाने वाले पद	अवकाश किये जाने वाले पद
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	जिला अधिवक्ता	38 (प्रत्येक न्यायालय हेतु 1-1 पद)	5 (प्रत्येक न्यायालय हेतु 1-1 पद)	43	43	-	-
2.	जिला सहायक	38 (प्रत्येक न्यायालय हेतु 1-1 पद)	5 (प्रत्येक न्यायालय हेतु 1-1 पद)	43	21	22	-
3.	सोफिस्टर सैफ्टर	38 (प्रत्येक न्यायालय हेतु 1-1 पद)	5 (प्रत्येक न्यायालय हेतु 1-1 पद)	43	21	22	-

4	शेडर	-	-	22	-	22
5	स्टेनो ग्राफ-II	-	-	22	-	22
6	कृत्रिम लिफ्ट	35	19	86	63	-
	प्रकार	प्रकार				
	न्यायालय	न्यायालय				
	हनु 3-3	हनु 7-7				
	नद	नद				
	आवृत्ति/कम	50	202	86	116	-
	प्रकार	प्रकार				
	न्यायालय	न्यायालय				
	हनु 4-4	हनु				
	नद	10-10				
	नद	नद				
	योग	380	100	480	301	223
						44

यह व्यय बजट संक 2014-न्याय प्रशासन, 105-सिविल और सेशन्स न्यायालय (101) जिला और अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के न्यायालय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में उपलब्ध प्रावधान से वहन किया जाएगा। अतिरिक्त प्रावधान के सम्बन्ध में संशोधित अनुमान 2012-13 के समय विचार किए जाएंगे।

अध स्वीकृति संक (व्यय-5) विभाग की आई.डी.संख्या 101203910 दिनांक 18.10.2012 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. महालेखाकार (सक) एवं (सक) राजस्थान जयपुर
2. जिला (व्यय-5) बजट विभाग।
3. रजिस्ट्रार (प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बेंच, जयपुर।
4. रक्षित फ़ाइलें

उप शासन सचिव

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

क्रमांक : जी/आई/ए-4(i)(a) 42/12/ 4710

दिनांक : 09/11/2012

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर, अलवर, बालोतरा, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, दौसा, डुंगरपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर महानगर, जयपुर जिला, झुझनू, जोधपुर महानगर, करौली, कोटा, पाली, सवाईमाधोपुर, सीकर, टोंक, उदयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
02. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या 04, 05, अजमेर, संख्या 2, 3 अलवर, संख्या 3 अलवर, संख्या 2 बहरोड, बालोतरा, संख्या 3, 4 भरतपुर, संख्या 3 भीलवाड़ा, संख्या 3, 4 बीकानेर, दौसा, डुंगरपुर, सूरतगढ़, संख्या 2 हनुमानगढ़, संख्या 2 नोहर, संख्या 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, जयपुर महानगर, संख्या 3, 4 जयपुर जिला, चौमू, संख्या 2 झुझनू, संख्या 4, 5, 6 जोधपुर महानगर, करौली, संख्या 6 कोटा, जैतारण, सवाईमाधोपुर, संख्या 3, 4 सीकर, टोंक, संख्या 4, 5 उदयपुर, सलूमबर ।
03. लिपिक स्थापना (आरजेएस) को न्यायिक अधिकारी के पद सृजन की सूचना के संधारण एवं न्यायिक अधिकारियों के केंडर स्ट्रेन्थ के संधारण तथा इससे अन्य संबंधित कार्यवाही के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
04. न्यायालय सृजन लिपिक को न्यायालय सृजन हेतु पदों के सृजन के इस कार्यालय द्वारा प्रेषित प्रस्ताव से मिलान एवं न्यायालय सृजन के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
05. सहायक लेखाधिकारी (बजट) को वेतन तथा भत्तों तथा अन्य बजट संबंधी कार्यवाही के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु ।


रजिस्ट्रार (प्रशासन)